जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 08.04.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 05 अभियुक्तो को 01-01 वर्ष के सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.04.2025 को ***मा0 एससी/एसटी कोर्ट जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 05 अभियुक्तो को मारपीट के मामले में 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 863/2010 धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. राधेश्याम पुत्र अदालती 02. राजमन पुत्र अदालती 03. रामआशीष पुत्र रामबुझार 04. किन्नन पुत्र अदालती 05. रमेश पुत्र सतई निवासीगण पचपेड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि में 01-01 वर्ष की अवधि के लिए 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान धनराशि के 02-02 प्रतिभू व वादी मुकदमा को 04-04 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान करने व सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 08.04.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- प्रेमा देवी पत्नी मल्लू निषाद 02- गुड़िया पत्नी मल्लू निषाद निवासीगण भैंसठ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रमेश चन्द, म0उ0नि0 शिखा गुप्ता, हे0का0 अजय सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 128 वाहनों से 1,19,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 128 वाहनों से 1,19,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 08.04.2025**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 14 स्थानो पर लगवाये गये 119 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 08.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 14 स्थानो पर 119 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 03 स्थानो पर 31 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 स्थानो पर 32 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 15 कैमरा, थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 03 स्थानों पर 16 कैमरा थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानो पर 13 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।